विषय: वैश्विक, एशिया, मौसम परिवर्तन, खाद्य एवं कृषि, पर्यावरण, विकास और सहायता, जैव विविधता, स्वदेशी अधिकार

मैंग्रोव के संरक्षण करने से संरक्षण और खाद्य सुरक्षा प्राप्र होते हैं

मालिनि शंकर द्वारा लिखित

पिछावरं, भारत नवम्बर 10, 2015 (ऐपीएस) - एक दशक पहले भारत के मुहाने मैंग्रोव सिर्फ एक घने क्षेत्र था, जो भूले हुए और हाशिए लोगों के लिए घर हो गया था। किसी ने भी यह नहीं कहा होगा कि वे किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रदान करेंगे।

कोई शिक्षा के बिना और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग के बिना, स्वदेशी ईरुला लोगों ने जीवित रहने के लिए ऐसे परिस्थितियों में संघर्ष किया की उनके बारे में बहुत लोगों कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।

नागमुथु एक 34 वर्षीय इरुला, वह a मैंग्रोव के उजाड़ दलदल में बसी अपने छप्पर की छत वाली बांस की झोपड़ी की दहलीज तक आने वाली खाड़ी में बाहर रखी एक केकड़ा जाल खींचती है।.

क्रीक में बाहर रखी एक केकड़ा जाल खींचती है। मैंग्रोव पोषण करके, वह भारत की वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित पिचावरम सुरक्षित वन में मछली के लिए अधिकार प्राप्त किया है। उन्होंने कहा

कि उनका खाद्य स्रोत व शिकार चूहे और सांप थे जब 2004 के एशियाई सुनामी से पहले भुखमरी के दिन, सबब बन जाते हैं। "हम मुश्किल से एक सप्ताह में एक या दो चूहे खा सकते थे।" किसी भी अन्य आजीविका या कौशल के बिना, गरीबी अपरिहार्य थी। वे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। एक बार सुनामी के बाद, मैंग्रोव के कारण लहरों से जो ईरुला बच गए थे उन्हें भा रत की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है - उनकी मदद करने के लिए उन्हें सुरक्षित भोजन और आजीविका - के लिए बदले में उनकी रक्षा के लिए और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ के रूप में वनस्पतियों का पोषण करने के लिए जारी - जैसे जैव विविधता अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में कानून के तहत। © मालिनी शंकर

"खाने के लिए पर्याप्त भोजन, पीने का पानी, ताजा कपड़े, ये सब कुछ भी नहीं थे हमारे पास, और जिवन करना एक बड़ी चुनौती हो गई थी। मैं मेरा सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी उस तरह कि स्थिति नहीं चाहूंगा। फिर एक दिन सरासर निराशा में मैं मेरे बिमार बच्छे ले लिए कुछ मदद मांगने डीसी कार्यालय के पास गया," कहते हैं 56 साल के पिछकण्णा, जो कुड्डालोर जिले, चिदंबरम तालुक के पिछावरं खाड़ियों में ईरुला के सबसे बड़े जीवित सदस्य है। .

वहां के कुछ अधिकारियों ने मुझे सरकारी योजनाओं का उपयोग करने का मार्ग समझाया। मैं अनपढ़ हूं, लेकिन फिर भी हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के बाद हमें "नागरिकों" बनने के लिए संभव हो गया। उस कार्य ने एक ही झटके में राज्य के समर्थन का उपयोग करने के लिए हमारी मदद की," उन्होंने कहा।

मैंग्रोव, जिनको "जैविक कवचों" नाम से भी पुकारा जाता है, पर वैज्ञानिकों का गंभीर ध्यान तब पड़ा जब उन मैंग्रोव ने प्रभावी ढंग से इन तमिल नाडु कि मुहाने खाड़ियों में 2004 कि एशियाई सुनामी की शक्ति कम की और वहां के कृषि भूमि में चूहों और सांप शिकार के द्वारा अपने अस्तित्व के लिए हाथ-मुँह जीवन बिता रहें इरुला जनजाति कि हजारों के जीवन को बचाया।

"हम ईरुला लोग अनादिकाल से शिकारी थे; लेकिन पिछले कुछ सदियों से, चूहों का शिकार और सांप कि हत्या वास्तव में, और, कम से कम आर्थिक रूप से, पूरी तरह से अस्थिर हो गया। क्योंकि हम कृषि श्रम में लगे हुए थे, हमें अक्सर चूहे और अन्य ऐसे नुकसान पहूंचानेवाले परोपजीवीयों को शिकार करने के लिए कहा जाता था। हम चूहों का शिकार करते थे और सांप को मारते थे, और या तो सांप के जहर या उनके खाल को बेचते थे, या चूहों

को मारकर उनको भुनाकर खा लेते थे। धीरे-धीरे, यह इतना चुनौतीपूर्ण हो गया की एक सप्ताह में केवल एक या दो बार हमें हमारे मुख्य आहार - चूहे का मांस - मिल सकता था, और हम भुखमरी के कगार पर काफी हद तक थे।" कहते हैं नागमुत्तु, शुरुआती तीसवां सालों के उम्र के एक युवा ईरुला, जो अब एक मछुआरे है।

एशियाई सुनामी के बाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कुड्डालोर जिले के पूर्व कलेक्टर, जी.ए.स बेडी ने ईरुला जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया। आजीविका कौशल के बिना इन लोगों गरीबी के चक्र में फंस गए थे। अनपढ़ ईरुला चूहों शिकार के अलावा अन्य कोई आजीविका नहीं जानते थे, और सुनामी के बाद के दिनों में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं थे।

मैंग्रोव जैसी झीलें, पक्षियों, सांप, मुहाने मगरमच्छ, कछुए, समुद्री खीरे, मेंढक, मछली के साथ वन्य जीवन से भरी हैं। सियार, खरगोश, डॉल्फिन और लकड़बग्घे के रूप में स्तनधारी भी सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं।

© मालिनी शंकर

मैंग्रोव वनों उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ज्वार क्षेत्रों और समुद्री किनारे प्रदेशों हर छह घंटे समुद्र के पानी से जलमग्न होते हैं। झीलों इंटरनेशनल के अनुसार, तीव्र पतन कि ओर जा रहे मैंग्रोव वनों दुनिया भर में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका के पार, उष्णकटिबंधीय तट के अनुमानित 15.2 लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं।

मैंग्रोव वनों तूफानी हवाओं और बाढ़ और साथ ही सुनामीयों जैसी चरम मौसम घटनाओं में उनके खिलाफ सुरक्षा और आश्रय प्रदान करते हैं। इन घटनाओं के साथ जुड़े ज्वार हिलोराओं को मैंग्रोव अवशोषित करते हैं और फैला देते हैं। झीलों इंटरनेशनल का कहना है की "100 मीटर की गहराई के साथ 0.01 प्रति हेक्टेयर में स्थित 30 पेड़ों के एक मैंग्रोव स्टैंड सुनामी की विनाशकारी शक्ति को 90% तक कम कर सकता है"।

जैव विविधता में अमीर, मैंग्रोव वनों पौधे और पशु प्रजातियों के विभिन्न किस्मों के लिए एक निवास स्थान प्रदान करते हैं। वे ज्यादा खाने को लभ्य करनेवाले गतिशील क्षेत्र हैं। जिवित और खस्ताहाल मैंग्रोव पत्तियों और जड़ों प्लवक, शैवाल, मछली और शंख को खाना बनकर पोषक तत्वों प्रदान करते हैं।

वहां जीवित बायोमास में संचय के माध्यम से और तलछट जमा में दफन के माध्यम से मैंग्रोव में कार्बन का भंडारण होता है। झीलों अंतर्राष्ट्रीय ने समझाया, "मैंग्रोव में आम तौर पर प्रत्येक हेक्टेयर में 100-400 के बीच टन जीवित बायोमास रहते हैं, और मैंग्रोव में अवसादों में महत्वपूर्ण मात्रा में संग्रहित कार्बनिक पदार्थ होते हैं -- और इन दोनों कारणों कि वजह से वे वर्षावन की ज़ब्ती संभावित गुणों के साथ प्रतिद्वंद्वी हैं"।

अनुसूचित जनजाति की सूची में उनके शामिल किए जाने के बाद ईरुला लोगों ने उनके डीएनए कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए प्रोफ़ाइल करवाया। आजीविका समर्थन के साथ, हमें आजीविका सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, और साथ ही, पहले बार के लिए बेहतर खाद्य सुरक्षा की दिशा में कदम। मत्स्य पालन ईरुला लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (www.mssrf.res.in) ने अनपढ़ और हाशिए ईरुला लोगों के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया।

"हम ईरुला लोग कभी-कभी अपने भोजन के पूरक के लिए खाड़ियों से हाथ से मछली उठाने द्वारा मछली पकड़ने में लिप्त होते थे, क्योंकी चूहों को शिकार करने से हमें एक सप्ताह में

केवल एक या दो बार खाना मिलता था... उन दिनों हम बहुत परेशान रहते थे। सुनामी के बाद कलेक्टर श्री जी.एस. बेडी द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कराए जाने तक खाद्य सुरक्षा के सभी आशा हम खो चुके थे," नागमुत्तु कहते हैं।

उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के हस्तक्षेप के साथ हमने नेट के साथ मछली पकड़ने सीखा; हमने मछली पकड़ने के जाल बुनाने का कौशल सीखा; डांड़ मछली पकड़ने; नौका विहार; आदि सब सीखा। हमने केकड़ों को जाल में लगाना, फंसे हुए केकड़ों को मोटा करनेवाले उपकरणों में तैनात करने के बारे में, ये सब भी सीखा," उनहोने कहा।

"उसी समय खाद्य सुरक्षा कानून ने पर्याप्त भोजन की आपूर्ति के बारे में हमें आश्वासन दिया। तो फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया, जिससे हमें थोड़ी मात्रा में वित्तीय स्थिरता मिला," कहते है नागमुत्तु।

भारत की वन अधिकार अधिनियम ने भी हमें आजीविका के लिए अधिकार इस शर्त पर दिया की यदि हम स्थायी तौर में जैविक संपत्ति के संरक्षण कर पाते थे, तो हम पिछावरम कि तरह के सुरक्षित वन में रहना जारी रख सकते थे। हमने मैंग्रोव वृक्षारोपण को गाड़ना और उनका संरक्षण और पोषण करने कि प्रतिबद्धता देने पर पिछावरम वन की खाड़ियों में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त किए," जोड़ा नागमुत्तु ने, जिसने सिर्फ तीसरी ग्रेड कि शिक्षा प्राप्त की है।

मैंग्रोव की पारिस्थितिकी भूमिका ने अपनी महत्वपूर्ण प्रभावकारिता साबित कर दिया। जब इन जैव विविध वनस्पतियों (मैंग्रोव की 12 प्रजातियों मैंग्रोव रिजर्व में पाया जा रहे है) को मछली की हड्डीयों के रचना में लगाए, तो वे भूजल में लवणता में कमी लाते हैं, और तटीय / मुहाने या डेल्टा क्षेत्रों में धान और मसूर की खेतीयों के खारा प्रतिरोधी किस्मों को पाते हैं।

भारत की आजादी के समय में बंगाल के अकाल के तहत कड़ी पीड़ा अनुभव कर रहे थे; खाद्य सुरक्षा राजनीतिक कार्यसूची के शीर्ष पर था। एक न्यायसंगत ढंग से खाद्य भंडार वितरित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित किया गया था," प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, जो पूर्व सांसद बन चुके हैं और भारत की हरित क्रांति में एक नेता थे, ने कहा। वे उनके ही नाम में एक अनुसंधान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं।

उन्होंने कहा, "समय के साथ यह महसूस किया गया कि खाद्य सुरक्षा सिर्फ गेहूं और चावल पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन खाद्य सुरक्षा का गर्भित अर्थ पोषण होना चाहिए;

इसलिए मक्का, बाजरा, नाबालिग बाजरा, सोया सेम की तरह अन्य अनाज भी समान रूप से प्रोत्साहित किए गए।"

डॉ एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा, "भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां भूख से निपटने के लिए विधायी उपायों की एक धसान ले लिया गया है।" उन्होंने यह भी कहा की भारत का खाद्य सुरक्षा अधिनियम शायद खाद्य सुरक्षा के मामले में मानवता के लिए भारत के एकमात्र और सबसे बड़ी विधायी योगदान है।

उनहोंने कहा की, जैव विविधता अधिनियम पौधे और पशु आनुवंशिकी प्रसारित करता है, जिसके कारण किसानों को उनके आजीविका सुरक्षा के बारे में विश्वास मिलता है। वन अधिकार अधिनियम भी वन में रहने वाली जनजातियों की जीवन के अधिकार और आजीविका की रक्षा करता है, और उस कारण से जैव विविधता के साथ-साथ वन में रहने वाली हाशिए जनजातियों के पोषण और खाद्य सुरक्षा भी आश्वस्त करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण जनता को एक न्यूनतम मानक की वेतन और न्यूनतम अवधि की रोजगार सुनिश्चित करता है," डॉ एम.एस. स्वामिनाथन ने ऐपीएस के साथ विश्ष रूप से बात करते हुए कहा।

जलवायु परिवर्तन से जल-मौसम संबंधी कारणों से प्रेरित आपदाओं में वृद्धि होने के कारण, सबसे कमजोर लोगों के लचीलेपन को मजबूत बनाने कि जरूरत को कानून द्वारा समर्थन प्रदान करने से सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट किया जा सकता है।

सबसे बड़ी फसल विविधता, जैव विविधता और मछली विविधता के होते एक राष्ट्र ने वंचितों के लिए खाद्य सुरक्षा को कुप्रबन्धित किया; और खाद्य असुरक्षा कैसे उलटा जा सकता है... इस बात को दिखाने के लिए एक प्राकृतिक आपदा कि आवश्यकता हुई।